राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः— प0 12(11)वन / 2005 / पार्ट

जयपुर, दिनांकः— 11 मार्च, 2015

आज्ञा

राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियो का राजस्थान वन सेवा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 20,160 / — प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व में नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 1(2)वित्त / नियम / 06 दिनांक 13.3.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तो पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है:—

क्र.स.	रोल0नं0	मेरिट नं0	अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री / सुश्री / श्रीमती	वर्ग	जन्मतिथि
1	201680	1	आनन्द कुमार	GEN	04/07/1982
2	103895	2	दीपक चौधरी	GEN	29/03/1976
3	209367	3	बलराम शर्मा	GEN	17/08/1989
4	100017	4	चन्द्रपाल सिह चौहान	OBC	13/05/1969
5	211901	5	इकबाल सिह	OBC	20/10/1977
6	105068	6	जयशंकर शर्मा	GEN	03/09/1976
7	208134	7	प्रदीप कुमार	OBC	26/10/1989
8	100137	10	यादवेन्द्र सिह चुण्डावत	GEN	04/02/1987
9	203236	11	अनिल कुमार यादव	OBC	08/08/1985
10	208167	12	संदीप कुमार	OBC	07/02/1981
11	101546	13	अमित चौहान	OBC	26/02/1980
12	210074	14	राजेश कुमार शर्मा	GEN	28/10/1975
13	208962	15	प्रशान्त गर्ग	GEN	01/05/1975
14	203201	16	आशीष व्यास	GEN	28/07/1989
15	202463	17	संदीप कुमार छलानी	GEN	15/10/1986
16	204624	18	नवरतन मित्तल	GEN	16/06/1980
17	207909	19	सुरेश अग्रवाल	GEN	20/11/1985
18	203460	20	सरिता कुमारी	OBC, WE	03/01/1987
19	102450	21	सुनील गुप्ता	GEN	21/08/1976
20	101604	23	रूद्रप्रताप सिंह	GEN	15/07/1981
21	200585	24	विक्रम सिंह शेखावत	GEN	28/04/1973
22	103330	25	सुनील कुमार गौड	GEN	23/08/1978
23	208283	26	रमेश कुमार	OBC	21/10/1970
24	103170	27	विकास अरोडा	GEN	07/08/1981
25	102802	28	संजय कुमार गुप्ता	GEN	03/04/1974
26	209946	30	शुभम जैन	GEN	21/11/1988
27	210709	31	पंकज कसाना	SB	08/07/1986
28	205927	32	प्रमोद कुमार धाकड	OBC	04/04/1986
29	212423	33	अभिषेक शर्मा	GEN	05/03/1985
30	212736	34	आकांक्षा जोशी	GEN, WE	20/04/1987
31	102601	35	विजय	OBC	12/08/1982
32	100955	37	ओम प्रकाश जॉगिड	OBC	14/05/1981

1. उपरोक्त नियुक्ति आदेश एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 17062 / 2013, 17188 / 2013, 19266 / 2013, 8189 / 2013, 12556 / 2013, 12362 / 2013, 12350 / 2013, 9410 / 2013, 11931 / 2013, 18026 / 2013, 17462 / 2012, डी0बी0 अपील नं0 1046 / 2013 एवं अन्य लम्बित याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होंगे।
2. उक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि वे ही है जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के अनुसरण में की गई है।
4. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों ओर सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
5. राज्य सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुणा राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुणा राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
6. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग—1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

7. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके स्वास्थ्य एवं चरित्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।
8. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी आदेश जारी होने की तिथि के 15 दिवस के पश्चात रिपोर्ट नहीं करते है तथा न ही कोई सूचना विभाग को भिजवाते है, तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
9. दिनांक 1.6.2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होगे।
10. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही वेतन निर्धारण सहायक वन संरक्षक की वेतन श्रृंखला (15) 15600–39100 ग्रेड पे 5400/–में निर्धारित किया जावेगा एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
11. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
12. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.1.04 एवं 27.3.04 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये, उनके अधीन ही सेवालाभ देय होंगे।
13. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वष्ठिता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के आधार पर ही होगा
14. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना प012(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.3.06, प06(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.3.06, प01(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.3.06, प013(1)वित्त/नियम/03 दिनांक 13.3.06 तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 12.9.2008 के नियमानुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। जिसकी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। परीवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि, अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि देय नहीं होंगे।
15. चयनित अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति दिनांक 23.03.2015 को **प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर कार्यालय** में देना सुनिश्चित करें तथा कार्यग्रहण करते समय वॉछित संलग्न पत्रादि सम्पूर्ण रुप से भर कर प्रस्तुत करें। चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 1.4.2015 को कोयम्बटूर में प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण में उपस्थिति देनी होगी। अतः दिनांक 1.4.15 को अपनी उपस्थिति कोयम्बटूर में देने हेतु अपनी यात्रा हेतु आरक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर लेवें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-Sd-
(चुन्नी लाल सैनी)
शासन उप सचिव
फोन नं0 0141–5116991

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज. जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, मा0 वन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन।
8. शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
9. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर।
11. निदेशक, वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
12. प्राचार्य, केन्दीय अकादमी, राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर, तमिलनाडू।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
14. श्री———————————————
———————————————
——————————————— द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
15. निजी पत्रावली

शासन उप सचिव

नोटः–सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यग्रहण करते समय निम्नलिखित पत्रादि सम्पूर्ण रूप से तैयार कर साथ लावेः–

1. समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज (10वीं बोर्ड सर्टिफिकेट सहित)
2. दो–उत्तरदायी व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र (जो छः माह की अवधि से पहले के नहीं हो)
3. निर्धारित संलग्न बंधक पत्र रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प नोटेरी से सत्यापित ।
4. दिनांक 1.6.02 को या उसके उपरान्त दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र।
5. गृह जिले संबंधी आवश्यक दस्तावेज (मूल निवास प्रमाण पत्र)
6. बिन्दु संख्या–14 के अनुसार आवश्यक सहमति पत्र
7. दहेज नहीं लेने/देने के संबंध में सहमति पत्र
8. धूम्रपान एवं गुटखा इत्यादि का सेवन नहीं करने संबंधी सहमति पत्र